संख्या-4/2015/274/53-15-2(74)/12

प्रेषक,

एस0 राजलिंगम,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी।
दुग्धशाला विकास विभाग,
कानपुर।

दुग्ध विकास अनुभाग लखनऊ:दिनांक 16 फरवरी, 2015

विषय:-वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद कन्नौज में डेरी की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना-सामान्य)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-579-81/दुग्ध-4/नियो0/मा0मु0मं0घो0/(143)2014-15, दिनांक-03.02.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के क्रियान्वयन हेतु जनपद कन्नौज के तिर्वा विधान सभा के गसीनपुर क्षेत्र में नई डेरी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 55.85 लाख के सापेक्ष रू0 27.925 लाख (रू0 सत्ताईस लाख बयानबे हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त के रूप मे शासनादेश संख्या-1766/53-2014-2(74)/12, दिनांक-03.09.2014 द्वारा निर्गत की गयी थी। कन्नौज के तिर्वा विधान सभा के गसीनपुर क्षेत्र में नई डेरी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 55.85 लाख के सापेक्ष अवशेष रू0 27.925 लाख (रू0 सत्ताईस लाख बयानबे हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप मे निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन **संलग्नक-क** के अनुसार उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, कानपुर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि शासन की पूर्व अनुमति के बिना उक्त वित्तीय सहायता से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अर्जित सम्पत्ति को निस्तारित अथवा अधिभारित नहीं किया जायेगा, और न ही उसका उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन/उद्देश्य के लिये होगा तथा धनराशि सम्बन्धित संस्था को अवमुक्त करने के पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाये कि गत वर्ष मे स्वीकृत वित्तीय सहायता का पूर्ण उपयोग सम्बन्धित संस्था द्वारा कर लिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर आपके कार्यालय एवं दुग्ध संघ के लेखे तथा बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

(2) स्वीकृति की जा रही धनराशि से निर्माण कार्य पी0डब्लू0डी0 के शिड्यूल रेट पर कराया जायेगा।

(3) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(4) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रशासनिक विभाग की होगी।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते अथवा डाकघर मे नहीं रखा जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में पी0एफ0ए0डी0 की शर्तो एवं वित्त बजट-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-09 जुलाई, 2012 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(9) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) प्रश्नगत धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखा शीर्षक **'2404-डेरी विकास-आयोजनागत-191- नगर निगमों को सहायता-05-जनपद-कन्नौज में दुग्ध डेयरी की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0- ई-2-141/दस-15, दिनांक-16.02.15 में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एस0 राजलिंगम)
विशेष सचिव।

संख्या-274(1)/53-2015, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन, 15
2- थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
3- कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर एच, अलीगंज,
4- लखनऊ-226024
5- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6- दुग्धशाला विकास अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
7- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
8- जिलाधिकारी कन्नौज।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर।
11- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
13- अर्थ एवं व्यवस्था अधिकारी, कन्नौज।
14- मण्डलीय उप निदेशक अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0।
15- इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, कन्नौज।
16- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-क

शासनादेश संख्या-274/53-15-2(74)/12, दिनांक- 16 फरवरी, 2015 का संलग्नक।

क्र0सं0	संयत्र का नाम एवं क्षमता	धनराशि (लाख रू0 में)
1	पावरलाईन हेतु सब स्टेशन की स्थापना	12.830
2	टैंकर बैरल चेसिस सहित (क्षमता 9000 लीटर, 3000 लीटर)	15.095
	योग-	27.925

(रू0 सत्ताईस लाख बयानबे हजार पांच सौ मात्र)

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in